राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1849/2024

हनीफ खां **–अपीलार्थी**

बनाम

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा डीग, जिला डीग (राज.)।
2. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी Kaman, भरतपुर (राज.)।
3. प्रमुख सचिव, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.05.2024
आदेश की दिनांक : 30.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री तुषार सारस्वत, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को प्रारंभ में प्रबोधक अध्यापक के पद पर वर्ष 2005 में नियुक्ति दी गई और उसे वर्ष 2018 में वरिष्ठ प्रबोधक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Virar कामां, जिला डीग स्थानान्तरित किया गया। उनका कथन है कि दिनांक 23.01.2023 को अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना कैथवाडा, जिला भरतपुर में एफआईआर संख्या 18/2023 दर्ज की गई, जिसमें अपीलार्थी पर झूठे आरोप लगाये गये और अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.01.2024 के द्वारा अपीलार्थी को निलंबित किया गया तथा पुलिस द्वारा संबंधित न्यायालय में दिनांक 31.12.2023 को चार्जशीट प्रस्तुत की गई। उनका कथन है कि इस प्रकार अपीलार्थी को लम्बे समय तक बिना किसी कारण के निलंबित नहीं रखा जा सकता। परंतु अपीलार्थी को लम्बे समय से निलंबित रखा गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 06.01.2023 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को निलंबन से बहाल करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 06.01.2023 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) 1958 के नियम 13 के अंतर्गत अपीलार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना, कैथवाडा, जिला डीग में दर्ज एफआईआर संख्या 18/2023 अंतर्गत धारा 323, 341, 325, 336, 307, 326 एवं 34 आईपीसी में अपीलार्थी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने पर अपीलार्थी को निलंबित किया गया है। 16 माह बाद भी अपीलार्थी के विरूद्ध अभी तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई चार्जशीट नहीं दी गई। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 22.03.2023, जिसमें लोक सेवकों के अपराधिक प्रकरणों में निलंबन एवं निलंबन से बहाली के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी तथ्यों, अभिलेखों व अभिवचनों के विवेचन के आधार पर एवं राज्य सरकार के परिपत्रों व न्यायिक दृष्टान्तों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी अपने मामले के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम स्तर पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के मामले में गंभीर विचार कर नियमानुसार उचित निर्णय लें और अपीलार्थी को सूचित करें।

अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य